न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं./राजस्व वाद/13 /2023

1. राजेश पुत्र चन्द्रलाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी छछून्दरा तहसील भिनाय जिला केकडी (वादी)

बनाम

1. कालू पुत्र मगना गुर्जर
2. छोटी पुत्री मगना गुर्जर
3. नारायण पुत्र मगना गुर्जर
4. प्रभु पुत्र मगना गुर्जर
5. मथिया पुत्री मगना गुर्जर (विलोपित)
6. महावीर पुत्र मगना गुर्जर
7. राधा पुत्री मगना गुर्जर
8. रामकरण पुत्र मगना गुर्जर
9. रामसुख पुत्र मगना गुर्जर
10. जैती पत्नि भागु गुर्जर (विलोपित)
11. माना पुत्र भागु गुर्जर
12. झमरी पत्नि स्व0 सुखदेव
13. नबालिग जीवराज पुत्र सुखदेव जरिये सरंक्षक माता झमरी
14. लाला पुत्र स्व0 सुखदेव समस्त जातिगण गुर्जर निवासीगण बगराई तहसील भिनाय जिला केकडी
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकडी
16. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, भिनाय जिला केकडी

(प्रतिवादीगण)

निर्णय अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– 1. वकील वादी श्री शम्मी मोहम्मद
2. वकील प्रतिवादी श्री सुनील वैष्णव
3. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 06.02.2024

वादीया ने इस वाद प्रत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि ग्राम बान्दनवाडा पटवार हल्का बान्दनवाडा भू.अ.नि.बान्दनवाडा तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता सं. 364 में दर्ज खसरा नं. 289 रकबा 1.07 है0 वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 14 जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहें हैं। वाद वर्णित आराजीयात में वादी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादिया सं. 1 लगायत 9 का प्रत्येक का 1/45 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 लगायत 11 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 12 लगायत 14 का प्रत्येक का 1/15 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 14 के अतिरिक्त अन्य किसी दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा अधिकार नहीं है।

उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 14 के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 14

की संयुक्त काश्त की अविभाजित आराजीयात होने से वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 14 का उक्त प्रश्नगत आराजी के प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा एवं अधिकार है। वादी उक्त संयुक्त आराजीयात में अपने हिस्से अनुसार विभाजन करवाना चाहता है जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। इस हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई हैं। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 14 का विधिवत विभाजन कर अलग–अलग खाते कायम करने के आदेश कराने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 14 ने उक्त वाद पत्र के सन्दर्भ में जरिये अधिवक्ता जवाब पत्र प्रस्तुत कर अपनी सहमति प्रस्तुत की। पैरोकार सरकार ने वाद पत्र पर जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक कथनानुसार अवगत कराया कि प्रश्नगत आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 14 की संयुक्त आराजीयात हैं। उक्त भूमि में किसी भी प्रकार से राजहित प्रभावित नहीं होता हैं अतः उक्त आराजीयात में रिकॉर्ड अनुसार दर्ज खातेदारान के मध्य उनके हक हिस्से अनुसार विधिवत बंटवारा किया जाना न्यायोचित बताया।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहन अध्ययन किया जाकर उपस्थित पक्षकारान के कथनों पर मनन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आनुतोष योग्य न्यायसंगत होना पाया गया। वादी के वाद पत्र अनुसार प्रश्नगत आराजीयात में वादी का हक हिस्सा निहित होने एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 14 की वाद पत्र अनुसार सहमति प्रस्तुत करने के आधार पर वाद पत्र स्वीकृत योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 14 के मध्य ग्राम बान्दनवाडा पटवार हल्का बान्दनवाडा भू.अ. नि.बान्दनवाडा तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता सं. 364 में दर्ज खसरा नं. 289 रकबा 1.07 है0 में वादी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादिया सं. 1 लगायत 9 का प्रत्येक का 1/45 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 लगायत 11 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 12 लगायत 14 का प्रत्येक का 1/15 हिस्सा अनुसार भूमि का मिट्स एवं बाउण्ड के आधार पर उक्त वर्णित हक हिस्से अनुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक लगान व खाते कायम करने की प्राथमिक डिक्री कायम की जाती हैं। यथानुसार तहसीलदार भिनाय राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम की धारा 18 से 21 के प्रावधानानुसार बंटवारा प्रस्ताव आगामी पेशी दिनांक तक प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)